न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 214/2021

1. कृष्ण पुत्र स्व0 श्री महंगा सिह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. राज कौर पुत्री स्व0 श्री महंगा सिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. मंगो पुत्री श्री महंगा सिंह पत्नी लाल सिं जाति बावरी निवासी धोला चक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. वीरो पुत्री श्री महंगा सिह पत्नी गरदेव सिह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्यारा सिंह } पिसरान सम्पूर्ण सिह
2. धारा सिंह }
3. गुरदीप सिह } पिसरान आत्मा सिह
4. जगमाल सिह }
5. शांति पत्नी श्री आत्मा सिह

} जाति बावरी निवासीगण खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—असल रेस्पोडेण्ट

7. दयाल सिंह पुत्र स्व0 श्री महंगा सिह जाति बावरी निवासी खराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. जोगेन्द्र सिह } पिसरान स्व0 हीरा सिंह पुत्र धारा बावरी निवासी खराखेड़ा
9. दर्शन सिह } तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
10. सुच्चा सिह }
11. राम सिह }
12. बचन सिंह }

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:25:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

13. रामप्यारी पुत्री स्व0 हीरा सिह पुत्र धन्ना सिंह पत्नी अमरजीत सिंह बावरी निवासी खराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

14. नरैण सिंह
15. भगवान सिंह
16. दीवान सिंह
17. दर्शन सिंह

पिसरान स्व0 मंगल सिंह पुत्र धन्ना सिंह बावरी निवासी खराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

18. नैनो कौर
19. पारो कौर
20. मीरा कौर
21. राजिया कौर
22. बीबा कौर
23. नानकी कौर

पुत्रिया स्व0 मंगल सिह पुत्र धन्ना सिंह बावरी निवासी खराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

24. राज सिंह
25. टहला सिह
26. मिठू राम

पिसरान स्व0 सुरजन सिंह पुत्र महंगा सिह बावरी निवासी खराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

27. मीरा पुत्री स्व0 सुरजन सिंह पुत्र महंगा सिह बावरी निवासी खराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी,
दिनांक 05.9.2012 एवं आदेश दिनांक 31.08.2012, प्र. सं. 363/2012
अनवान प्यारासिंह बनाम हीरासिंह आदि

उपस्थितिः–

श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अभिभाषक अपीलांट
श्री बलविन्द्र सिह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ता 5
श्री लोकश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 8 ता 10, 14, 15, 16,
श्री रविन्द्र भोभिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:25:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 19.05.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं0 1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएकट में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नही आया उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुतत की है। विधि सम्मत रूप से अपील प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिवस है लेकिन अपीलाण्ट ज्ञान से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपीलाण्ट को उक्त निर्णय व डिक्री का ज्ञान नहीं था क्योंकि अपीलाण्ट को किसी तरह का सम्मन अथवा सूचना जारी नहीं की गई थी। अपीलाण्ट के नाम से चक 7 केएचआर विवादित कृषिभूमि के अलावा चक 2 एसबीएन में 22 बीघा भूमि संयुक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलाण्ट ने चक 7 केएचआर व चक 2 एसबीएन की भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान में सुविधा प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.11.2021 को हल्का पटवारी से बातचीत की तो हल्का पटवारी द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2012 के आधार पर अपीलाण्ट की कृषि भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज किये जाने के तथ्यों से अवगत करवाया। इस पर अपीलाण्ट ने तहसील टिब्बी में जाकर निर्णय व डिक्री के बारे में पता किया तो पत्रावली अभिलेखागार हनुमानगढ के समक्ष होने के तथ्यों का ज्ञान हुआ। दिनांक 04.11.2021 से दिनांक 07.11.2021 का दीपावली का राजकीय अवकाश होने के कारण अपीलाण्ट ने दिनांक 08.11.2021 को जिला अभिलेखागार हनुमानगढ़ के समक्ष आदेश, निर्णय व डिक्री की सत्यप्रतियां 10.11.2021 को प्राप्त हुई। सत्यप्रतिलिपियां प्राप्त होने पर अपीलाण्ट ने आपस में इकट्ठा होकर रूपयों की व्यवस्था कर वकील से सम्पर्क किया और ज्ञान से अपील अन्दर मियाद पेश की है। देरी क्षमा की जावे एवं अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:25:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अंदर मियाद शुमार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यूएलसी (राज) पेज 566, 2020 (1) डीएनजे (राज) पेज 265, एवं पेज 121 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पेडेण्ट संख्या 1 ता 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्गनत भूमि पर लगातार कब्जा में थी वर्तमान में रेस्पो0 सं0 1 ता 5 का कब्जा काश्त सरे ऐलानिया है। बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का हमेशा से ज्ञान रहा हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अनुसरण मे वर्ष 2012 में ही इंतकाल दर्ज करवा लिया गया था। राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ठियां सरकारी रिकार्ड है जिसके बारे में सभी व्यक्तियों को ज्ञान होने की विधिक अवधारणा है। प्रतिवादीगण को दावा में प्रस्तुत होने हेतु सम्मन प्रेषित किये गये जो प्रतिवादीगण ने स्वच्छापूर्वक प्राप्त नहीं किये। अंततः विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का हुक्म सादिर किया व प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन निर्णय डिक्री की सूचना का स्त्रोत स्पष्ट नहीं किया है व कथित पटवारी का नाम भी प्रकट नहीं किया है एवं न ही कथित तपटवारी का शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की प्रारम्भ से ही सूचना राजस्व प्रविष्ठयों में हुए परिवर्तन से हो चुकी थी। अपीलाण्ट ने अपील मिथ्या तथ्यों के अधार रेस्पोडेण्ट के हैरान परेशान करने के लिए पेश की है जो सारहीन है। अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डब्ल्यू एल सी (राज.) पेज 566 पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पेडेण्ट संख्या संख्या [illegible] द्वारा प्रस्तुत वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.09.2012 को डिक्री [illegible] एवं दिनांक 31.08.2012 को संशोधित आदेश जारी किया [illegible] अपीलाण्ट [illegible] उक्त निर्णय, डिक्री की अपील 12.11.2021 को लगभग 9 वर्ष [illegible] अवधि पश्चात् अपील प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण [illegible] बताया है। जबकि जबकि अपीलाण्ट/प्रार्थी एवं रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थीगण एक ही गांव के निवासी हैं एवं वहीं उनकी भूमि है। अपीलाधीन निर्णय की अपीलाण्ट/प्रार्थी को 9 वर्ष तक कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:25:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जानकारी नहीं हुई यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलाण्टने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान में सुविधा प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.11.2021 को हल्का पटवारी से बातचीत की तो हल्का पटवारी द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2012 के आधार पर अपीलाण्ट की कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज किये जाने के तथ्यों से अवगत करवाया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2057–60 का अवलोकन किया गया उक्त जमाबंदी दिनांक 29.10.2021 की जारी की हुई है। जिसमें गुरदीप सिह पुत्र आत्मासिह , जगमाल सिंह पुत्र आत्मासिंह, तेजाराम पुत्र धाराराम, नानकसिंह पुत्र धारासिंह, प्यारासहि पुत्र सम्पूर्ण सिंह, प्रीतम सिह पुत्र धारासिंह, शांति पत्नी आत्मा के नाम दर्ज है। इसके अलावा अपीलाण्ट, द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2075–78 जिसकी जारी होने की दिनांक 14.08.2019 है। उक्त दस्तावेज से यह तथ्य साबित होता है कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का 01.11.2021 से पूर्व से ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान था। इसके अलावा अपीलाण्ट ने पटवारी से ज्ञान होने के समर्थन में पटवारी का कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से ही अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र में किये गये कथन मिथ्या हो जाते हैं। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त डब्ल्यू एल सी (राज.) पेज 566 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिसीमा–विलम्ब का उपमर्षण– स्पष्टकरण जो सन्तोषजनक न हो–दिन–प्रति– दिन के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं। वर्तमान अपील में अपीलाण्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उपरौक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलौक में अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 19.05.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
उप अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:25:02 IST
Reason: SelfAttested